न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर सोमसीसर
अनुवान काशीराम बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या –271 /2025
निर्णय दिनांक 02/07/25

1. काशी राम पुत्र हीरा राम जाति जाट निवासी रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर सोमसीसर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 25 खसरा नं. 310 तादादी 0.4552 हैक्ट., ख.नं. 597/311 तादादी 1.3151 हैक्ट., कृषि भूमि रोही मौजा सोमसीसर में खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खाता संख्या में प्रार्थी का नाम काशीराम पुत्र बादु दर्ज है जो कि गलत है सही नाम काशी राम पुत्र हीरा राम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम काशी राम पुत्र हीरा राम किये जाने की अभिशंषा की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम सोमसीसर तहसील तारानगर के 25 खसरा नं. 310 तादादी 0.4552 हैक्ट., ख.नं. 597/311 तादादी 1.3151 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम काशीराम पुत्र बादु Delete कर इसके स्थान काशी राम पुत्र हीरा राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/07/25 को कैम्प कोर्ट सोमसीसर में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)